न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया RAS

GCMS संख्या – 2024/137

प्रकरण संख्या – 59/24

अनवान

1. श्री मुकेश माली पिता दिपलाल माली जाति माली निवासी बग्गड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........वादीगण

बनाम्

1. श्री दिपलाल पिता नवला माली जाति माली निवासी बग्गड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री रमेश पिता दिपलाल माली जाति माली निवासी बग्गड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.........................प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता</u>

निर्णय दिनांक : 19.06.2025

1. प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से उपरोक्त वाद अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का प्रस्तुत किया गया है एवं वाद में मुल पुरूष रूपा को होना बताया गया है परन्तु पुरे वाद में यह कही पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि रूपा की मृत्यु कब हुई, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से पुर्व वादग्रस्त आराजी की सहदायिकी की क्या स्थिति थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी होने से पुर्व प्राप्त हुई या वाद में, पुरे वाद पत्र के पठन से कही पर भी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पति कैसे है यह स्पष्ट किया हुआ नहीं है जिससे कोई वाद कारण ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रथा का प्रथम श्रेणी का वारिश है एवं कानूनन अपने हिस्से का सोलऑनर है जिससे वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में घोषणा का वाद लाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। घोषणा के वाद में विधि अनुसार सभी सह खातेदारो का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिसमें इसके अभाव में वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः वादी का वाद वाद कारण के अभाव में एवं विधि द्वारा वर्जित होने से वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी की नकल पेश कर रखी है जिसमें वादग्रस्त आराजीयात के कौन खातेदार है उसका वर्णन है तथा वादी द्वारा अपने हिस्से की घोषणा करवाने के लिए आप न्यायालय में वाद पेश किया है त[illegible] सम्पति है जिस बाबत् निस्तारण दस्तावेज साक्ष्य एवं वादी साक्ष्य होने के बा[illegible]क्त पत्रावली में सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाने के बाद आप न्यायालय द्वा[illegible] इस स्तर पर कोई भी वाद ऐसे प्रार्थना पत्र के आधार पर खारीज [illegible]योंकि उक्[illegible] साक्ष्य का विषय है प्रतिवादी चाहे तो उक्त [illegible] दावे में ले सकते है[illegible] इस आधार पर वाद खारीज नहीं किया जा सकता हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि वादी संयुक्त हिन्द परिवार का सदस्य है तथा वादी अपना हिस्सा कभी भी आप न्यायालय से प्राप्त कर सकता है तथा पिता के जीवनकाल में भी अपने हिस्से की घोषणा करवाने के वाद पेश किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:18:09 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि वादी अन्य खातेदारों से बंटवाडा करवाने की रिलीफ आप न्यायालय से नहीं चाही अपने हक हिस्से की सम्पति में से अपने हिस्से तक की घोषणा करवाने न्यायालय में वाद पेश किया है जो विधि के अनुकुल है तथा किसी को पक्षकार ना के आधार पर कोई वाद खारीज नहीं किया जा सकता है अगर न्यायालय का की उनको भी जो अन्य खातेदार हैं पक्षकार बनाया जायें तो उनको भी पक्षकार बाद में बनाया जा सकता है परन्तु इस आधार पर वादी का वाद खारिज नहीं कि सकता है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलत आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र पे है जिसमें आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत जो प्रावधान बताये गये हैं उनमें से प्रावधान लागु नहीं हो रहा है। यह कि प्रतिवादी उक्त मामले को लंबा चलाने के तरह का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया है ताकि उक्त प्रकरण लंबा चल

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 का जो भी उजर है वह अपने वह अपने जवाब दावें कर सकता है परन्तु गलत तरिके से प्रार्थना पत्र पेश मामले के निस्तारण में देरी चाहता है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय कराये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने विद्वान अ उभय पक्ष की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के स निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

I. ए.आई.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 1753
II. ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 558
III. 2016 डी.एन.जे. सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 258
IV. ए.आई.आर. 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 494

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कि

I. शंकरलाल बनाम भंवरलाल रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान निर्णय दिनांक 25.07.2022
II. प्रकाश चन्द्र बनाम श्यामसुन्दर रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान निर्णय दिनांक 01.11.2021

6. पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थना पत्र के अध्ययन से पाया कि अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है बताया कि वादग्रस्त आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि मुल पुरूष रूपा के समय से चली आ रही हैं। रूपा की मृत्यु हो चुकी हैं। खातेदार जी के निधन के बाद उक्त भूमि उनके तीनो पुत्रों प्रथा, मोडा व नवला में निहित राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। नवला के निधन के बाद उसके विधिक वारिसान तीन पुत्र पुत्रीयां एवं पत्नी में निहित होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। वरदी बाई का निधन हो उक्त वरदी बाई के नाम की सम्पति विरासत से उनके विधिक वारिसान तीन पुत्र व पुत्रियों में बराबर से निहित हुई। प्रतिवादी संख्या 1 दिपलाल के दो पुत्र रमेश जो प्रति संख्या 2 है व मुकेश जो इस वाद पत्र में वादी हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी सं 1 को अपने पड दादा से प्राप्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। उक्त सम्पुर्ण सम मौरूसी सम्पति है जिससे उक्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 जन्म से ही हक अधिकार निहित है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के परिशिष्ट क, परिशिष्ट परिशिष्ट ग, परिशिष्ट घ में अंकित भूमि मौरूसी भूमि होकर वादी का इस भूमि जन्म से ही हक अधिकार निहित है किन्तु राजस्व रेकर्ड में सम्पुर्ण मौरूसी आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, वादी के नाम हिस्से अनुसार दर्ज नहीं हैं जिस प्रतिवादी संख्या 1 बिना किसी हक अधिकार के वादग्रस्त भूमि को विक्रय, रहन, बेह बक्षीस आदि तरिको से आमादा हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक सम्पति बताया जिससे घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:18:09 IST
Reason: Self Attested

7. प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश कर बताया कि वादी की ओर से उपरोक्त वाद अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का प्रस्तुत किया गया है एवं वाद में मुल पुरूष रूपा को होना बताया गया है परन्तु पुरे वाद में यह कही पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि रूपा की मृत्यु कब हुई, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से पुर्व वादग्रस्त आराजी की सहदायिकी की क्या स्थिति थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी होने से पुर्व प्राप्त हुई या बाद में, पुरे वाद पत्र के पठन से कही पर भी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पति कैसे है यह स्पष्ट किया हुआ नहीं है जिससे कोई वाद कारण ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रथा का प्रथम श्रेणी का वारिश है एवं कानूनन अपने हिस्से का सोलऑनर है जिससे वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में घोषणा का वाद लाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। घोषणा के वाद में विधि अनुसार सभी सह खातेदारो का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिसमें इसके अभाव में वाद विधि द्वारा वर्जित है। प्रकरण में वादी के वाद से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद अपने पिता के जीवनकाल में जीवित रहते हुये लाया गया है तथा वादग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित भूमि बता कर स्वर्गीय रूपा जी के समय से चली आ रही होना बताया है तथा रूपा जी की मृत्यु कब हुई यह स्पष्ट नहीं किया गया जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि रूपा जी की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद हुई या पुर्व हुई यह स्पष्ट नहीं हैं। इस संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

I. ए.आई.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 1753
II. ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 558 .
III. 2016 डी.एन.जे. सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 258
IV. ए.आई.आर. 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 494

उपरोक्त वर्णित सभी न्यायिक दृष्टान्तों में इस बिन्दु को पूर्णतया निर्धारित कर दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सन् 1956 के पश्चात होती है और उसके पहले से कॉपार्शनरी बनी हुई नहीं है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार ही उत्तराधिकारी खुलेगा एवं इस स्थिति में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के जीवनकाल में उसके पुत्र, पुत्रीयों को वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। हस्तगत प्रकरण के तथ्य भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टान्त 2016 डी.एन.जे पेज नम्बर 258 में वर्णित तथ्यों के समान ही है। हस्तगत प्रकरण भी वादी द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में प्रस्तुत किया गया है। इसी बिन्दु को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने बैसिक केस ए.आई.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 1753 में लिया गया है जिसे पश्चातवर्ती समस्त न्यायिक दृष्टान्तों में उल्लेखित किया गया है। किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पति है, पर्याप्त नहीं है। वादी को यह बताना होगा कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से मौरूसी सम्पति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच.यू.एफ. बनी थी अथवा नही। अगर यह स्थिति नहीं है तो किसी भी सम्पति को मौरूसी सम्पति नहीं माना जा सकता है एवं ऐसी स्थिति में वादी का वाद कोई वाद कारण दर्शित [illegible] न्यायिक दृष्टान्त ए.आई. आर. 2016 देहली पेज नम्बर 120 स्पष्ट है। न्यायिक दृष्[illegible]4(1)ADR 330 के वाद में वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी में [illegible] आधार पर [illegible] कर दिया गया था कि वादी का वाद कोई भी वाद कारण नहीं दर्शित [illegible] स्पष्ट किया गया है कि–

HINDU SUCCESSION ACT (30 Of 1956). S.B. SUIT FOR PARTITION- MAINTAINABILITY – HINDU MALE DIED INTESTATE – HINDU UNDIVIDED FAMLIY NOT IN EXISTENCE PRIOR TO HINDU SUCCESSION ACT COMING INTO FORCE – PROPERTIES INHERITED BY DECEASED OWNER ON DEMISE OF HIS FATHER WOULD BECOME HIS PERSONAL PROPERTIES SON OF DECEASED OWNER WOUD NOT ACQUIRE ANY CO- PARCENARY SHARE IN PROPERTIES TILL OWNER WAS

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedlya
Date: 2025.07.29 16:18:09 IST
Reason: SelfAttested

ALIVE – SUIT PROPERTY WOULD DEVOLVE ON SON OF DECEASED IN HIS INDIVIDUAL C
ON DEATH OF OWNER – CLAIM OF GRANSON OF DECEASED FOR PARTITION OF S
PERTIES ON GROUND THAT SAME WERE ANCESTRAL. NOT MAINTAINABLE.

<u>A.I.R.N.O.C. 2117(MADRAS H.C.)</u>

HINDU SUCCESSION ACT (30 OF 1956), S.B. – SUCCESSION IN CASE OF MALES – DECEASED BEING CLASS I HEIR ENTILED TO SUCCEED TO THE EXCLUSION OF GRANDSON

<u>A.L.R.N.O.C. 2236 (KARNATAKA H.C.)</u>

HINDU SUCCESSION ACT (30 OF 1956), S.B.- ANCESTRAL PROPERTY- PROPERTY INHER SONS IN INDIVIDUAL CAPACITY – SONS DEED EXECUTED BY ONE OF MEMBERS OF F PLAINTIFFS AS SONS ARE ENTITLED TO DECLARATION THAT SALES ARE NOT BINDING C SHARES. THOUGH UNDER TRADITIONAL HINDU LAW, FROM THE MOMENT AS SON IS E GETS A SHARE IN HIS FATHERS ANCESTRAL AND BECOMES A COPARCENER ON ACCI THAT RIGHT BY HIS BRITH IN THE FAMLIY THAT POSITION IS AFFECTED AND MOD SECTION 8 OF THE HINDU SUCCESSION ACT 1956. CONSEQUENTY, THE PROPERTY FATHER WHO HAD SEPARATED FORM HIS FAMLIY ON HIS DEATH WILL BE INHERITED A BY HIS SONS IN THEIR INDIVIDUAL CAPACITY AND SON'S SON/SONS WILL HAVE N THEREIN AS COPARCENERS. AIR 1986 SC 1753- FOLL. 9PARAS 16, 17,18).

<u>A.I.R.N.O.C. 273 (P&H H.C.)</u>

HINDU LAW – SEPARATE PROPERTY – CAN BE TREATED AS JOINT FAMILY PROP MARGER WITH ADMITTED JOINT FAMILY PROPERTIOES EXISITING – PERSON WHO THAT IT IS A JOINT FAMILY PROPERTY HAS TO PROVE ITS JOINT FAMILY CHARACTER- TI BE NO PRESUMPTION THAT PROPERTY INHERITED BY FATHER WNDER ACT OF 1956 TREATED BY FATHER AS JOINT FAMILY PROPERTY ALONG WITH HIS SONS HINDU SUC ACT (30 OF 1956), S.B. (PARA B) उपरोक्त आधारों पर यह स्पष्ट है कि मूल पुरुष रूप देहावसान के पश्चात उसका पुत्र नवला व उसके पश्चात् उसके पुत्र व पुत्रियां सम्पू मालिक होंगे तथा श्री दिपलाल के जीवनकाल में उसके पुत्र अथवा पुत्रियों को कोई प्राप्त नहीं होंगें।

8. अधिवक्ता वादी द्वारा अपने जवाब में कथन में कहा की उपरोक्त वाद का निस्तारण दावा लेकर तनकियात कायम कर साक्ष्य सबुत के आधार पर किया जा सक वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं हैं। वादी के उपरोक्त कथन के विरुद्ध द्वारा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह किया है कि मेरिटलेस वाद को प्रारम्भिक स्तर ही खारिज किया जाना चाहिए न्यायालयों का समय अनावश्यक रूप से नष्ट न हो।

<u>ए.आई.आर. 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 2421</u>

IF ON A MEANINGFUL – NOT FORMAL – READING OF THE PLAINT IT IS MAN VEXAATIOUS, AND MERITLESS, IN THE SENSE OF NOT DISCLOSING A CLEAR RIGHT T THE TRIAL COURT SHOULD EXERCISE ITS POWER UNDER O 7 R 11 C.P.C TAKING CARE THAT THE GROUND MENTIONED THEREIN IS FULFILLED, THE TRIAL COURTS SHOULD IMPERRATIVELY ON EXAMINING THE PARTY AT THE FIRST HEARING SO THAT LITIGATION CAN BE SHOT DOWN AT THE EARLLEST STAGE.

9. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादपत्र के अवलोकन से है कि वादी स्वयं अ[illegible] 2 में उनके द्वारा दर्शाये गये रूपा को मुल पुरुष मानते है। इ[illegible] न तो कोई सजरा दिया गया है, वादग्रस्त आराजीयत [illegible] हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरुसी हैं इसका कोई भी [illegible] इस कारण वादग्रस्त आराजी मुल पुरुष रूपा जी [illegible] मृत्यु के पश्चात भूमि उनके पुत्रों में निहित एवं वे ही प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है तथा उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 प्रथम श्रेणी के वारिसानों में निहित हुई। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीयों के जीवनकाल उनके पुत्र अथवा पुत्रियों को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं जो प्रतिवादी द्वारा किये गये न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन से स्पष्ट हैं। इस प्रकरण में विवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:18:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 श्री दिपलाल के हिस्से की सम्पति तक ही सीमित हैं और चुकि प्रतिवादी संख्या 1 श्री दिपलाल जीवित है तो उसके जीवनकाल में उसके पुत्र तथा पुत्रीयों को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। न्यायिक दृष्टान्त 2016 डी.एन.जे (S.C.) पेज नम्बर 258 के अवलोकन से वादी का वाद चलने योग्य नहीं हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को मौरूसी सम्पति होने का कथन कहा है लेकिन वादग्रस्त सम्पति किस प्रकार से मौरूसी सम्पति हैं यह स्पष्ट नहीं किया है। अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त AIR 2016 DELHI 120 DELHI HIGH COURT SURENDRA KUMAR VS. DHANI RAM AND ORS. में स्पष्ट किया है कि " This position of law along with facts as to how the properties are HUF properties was required to be stated as a positive statement in the plaint of the present case but if is seen that except uttering amantra of the properties inherited by defendant no. 1 being ancestral properties and thus the existence of HUF, tnere is no statement or a single averment in the plaint as to when this HUF which is stated to own the HUF properties came into existence or was created." साथ ही स्पष्ट किया कि this court is flooded with litigation where only self-serving are made in the plaint of existence of HUF and a person being a coparcener in any manner pleading therein the requisite legally required factual details as to how HUF came into existence. It is a sinequa non that pleadings must contain all the requisite factual ingredients of a cause of action, and once the ratios of judgments of the Supreme Court in the cases of Chander sen and Yudhishter comne in, the pre 1953 position and the post 1956 position has to be made clear, and also as to how HUF and its properties came into existence whether before 1956 or after 1956. It is no longer enough to simply state in the plaint after passing of the Hindu Succession Act, 1956, that there is a joint Hindu family or an HUF and a person is a coparcener in such an HUF/joint Hindu family for such person to claim rights in the properties as a coparcener unless the entire factual details of the cause of action of an HUF and each property as an HUF is pleaded." माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि याचिका में कार्यवाही के समस्त आवश्यक तत्व शामिल होने चाहिये साथ ही सम्पति की स्थिति को भी स्पष्ट किया जाना चाहिये। याचिका में केवल यह बताना पर्याप्त नहीं की सम्पति संयुक्त हिन्दु परिवार की है। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद में यह कही स्पष्ट नहीं किया की सम्पति किस प्रकार संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक भूमि हैं जिससे कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। वादीगण द्वारा जब अपने वाद पत्र में इस प्रकार के कोई कथन वर्णित नहीं किये गये है तो इससे पृथक साक्ष्य भी पेश नहीं किये जा सकते तदनुसार आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत वादी के वाद पत्र को ही देखा जाकर निर्णय किया जाना हो तो वादी का वाद ऐसा कोई वाद हेतु प्रकट नहीं करता है जिससे उक्त सम्पतियों में उसका हक प्रकट होता हो। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में ऐसा कोई न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत नहीं किया हैं जिसके प्रकाश में वादी को कोई सहायता प्राप्त हो।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की वादी का वाद कोई हेतुक प्रकट नहीं करता हैं तथा वादी का वाद हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत विधि द्वारा वर्जित हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या [illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स[illegible] किया जाकर वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:18:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्र.सं. 59/...

डिक्री व मुकदमा

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला...

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 59/24 (वाद)

GCMS NO: 2024/137

अनवान

1. श्री मुकेश माली पिता दिपलाल माली जाति निवासी बग्गड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.। ....वादीगण

बनाम्

1. श्री दिपलाल पिता नवला माली जाति माली निवासी बग्गड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री रमेश पिता दिपलाल माली जाति माली निवासी बग्गड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.। ....प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री कैलाश चन्द्र खारीवाल, अधिवक्ता वादी।
2. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 59/24 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:– परिणामस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.06.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:18:09 IST
Reason: SelfAttested